न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 65/2025 राजस्व वाद

छोटू लाल पुत्र श्री तिलोक गुर्जर आयु वयस्क निवासी— कुंवार तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
—— वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88 आर.टि.एक्ट

उपस्थित :—

1. श्री अशोक लखारा —अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार ——प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक— 26/06/2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घौषणा का इस आशय का पेश किया कि सरहद कुंवार पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 768/4 रकबा 1.2646 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि वादी के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी जो कि गैर—खातेदारी से वादी के नाम पर दर्ज हुई , वादी द्वारा शर्तो की पालना कर फसल काश्त की गयी व वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी ने सभी नियमो व शर्तो की पूर्ण रूप से पालना की गयी है व आज भी काबिज है व वादी उक्त आराजी मे खातेदारी हक अधिकार प्राप्त करने को अधिकारी है, लेकिन राजस्व कर्मचारीयो द्वारा वादी के नाम पर उक्त भूमि को गैरखातेदारी से खातेदारी हक से दर्ज नही की है , जिससे वादी के हक अधिकारो का हनन हो रहा है। वादी ने प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर उक्त भूमि को वादी के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी हक अधिकार से दर्ज कराने हेतु निवेदन किया, लेकिन प्रतिवादी ने कोई ध्यान नही दिया व दिनांक 01 एक अप्रेल 2025 दो हजार पच्चीस को प्रतिवादी पुनः उपस्थित होने से पर प्रतिवादी द्वारा साफ तौर इंकार हो गया व सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी। सरहद कुंवार पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 768/4 रकबा 1.2646 हैक्टयर भूमि पर वादी ने सभी शर्तो की पालना की है, इस कारण वादी राजस्व रेकार्ड मे गैरखातेदारी से खातेदारी हक से दर्ज करवाने के अधिकार है, तद्नुसार घौषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी किये गये व प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही गया व जवाब बंद किया गया। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य स्वरूप स्वयं व स्वतंत्र गवाहान के शपथपत्र पेश किये गये व जमाबंदी की नकल , जिंस गिरदावरी दस्तावेजात पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली कर प्रदर्श कये किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा (भीलवाडा)

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए आवंटन शर्तो की पालना करने से उक्त भूमि को खातेदारी हक से दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया . वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जिस गिरदावरी, कब्जो बाबत शपथपत्र से भूमि आंवटित होना व वादी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना करने व वादी का कब्जा होने से नियमानुसार आवंटन नियमो के तहत विहित समयावधि व्यतीत हो चुकी है। वादी को गैर खातेदारी से खातेदारी हक से भूमि दर्ज करायी जाना न्यायोचित पाता हूँ। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का आवेदन स्वीकार कर सरहद कुंवार पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 768/4 रकबा 1.2646 हैक्टयर भूमि को राजस्व रेकार्ड मे गैर खातेदारी हक से खातेदारी हक से दर्ज की जाने घोषणात्मक डिक्री वादी के पक्ष मे जारी की जाती है। इस निर्णय की पालना मे नायब तहसीलदार ज्ञानगढ/तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा पना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (भीलवाड़ा)

3. यह है कि वादी ने सभी नियमो व शर्तो की पूर्ण रूप से पालना की गयी

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

: मूल वाद मे डिक्री :
(आदेश 20 नियम 6–7 जा०दी०)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 65/2025 राजस्व वाद
छोटू लाल पुत्र श्री तिलोक गुर्जर आयु वयस्क निवासी– कुंवार तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
—— वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाडा (राज0) —— प्रतिवादी

<u>वादपत्र बाबत घोषणा</u>
<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88 आर.टि.एक्ट</u>

वादी की ओर से श्री अशोक लखारा, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 26/06/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि ——और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रुपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि निल को दी जायें। वादी का आवेदन स्वीकार कर सरहद कुंवार पटवार हल्का मोटा का खेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 768/4 रकबा 1.2646 हैक्टयर भूमि को राजस्व रेकार्ड मे गैर खातेदारी हक से खातेदारी हक से दर्ज की जाने घौषणात्मक डिक्री वादी के पक्ष मे जारी की जाती है। इस निर्णय की पालना मे नायब तहसीलदार ज्ञानगढ/तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (भीलवाड़ा)

अतः आज दिनांक 26/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (भीलवाड़ा)